



वर्षेष्: गललगतल-बालूटसलतान: पाकसलतान की नालपाक कलशलशल और भारत का वरलध

संदरूभ एवं पृषूठभूमा

हाल ही में पाकसलतानी परूधानमंतूरी खूाकान अबूबासी ने एक शासकीय ऑरूडर जारी कर गललगतल-बालूटसलतान स्वायतूतशासी कूषेतरू के परूशासन के सभी अधकलर समापूत कर दलरल। गललगतल-बालूटसलतान स्वायतूतशासी कूषेतरू के अधकलरलू को सीमलत करूने के पीछे मानूा यह जा रहा है कल पाकसलतान इसे अपना पाँचवां परूांत बनाने जा रहा है। भारत ने कडूा वरलध करूते हुए इसे गैर-कानूनी तरूीके से पाकसलतान में मललाने की साजशल बतूाया और कहा कल पूरा जममू-कश्मीर भारत का अभनलन अंग है और गललगतल-बालूटसलतान उसी परूांत का एक हसलसा है। जममू-कश्मीर का हसलसा रहे इस कूषेतरू पर पाकसलतान ने अनधकूत तूौर पर कबूूा कलरूा हुआ है।

कूूा है इस आदेश में?

- पाकसलतान की कूैबनलत ने 21 मई को गललगतल-बालूटसलतान संबूधी आदेश को मंजूरी दी थी और कूषेतरू की वधलनसभा ने भी इसका समरूथन कलरूा।
- गललगतल-बालूटसलतान (जीबी) ऑरूडर 2018 के आरूटकलल 77(2) के मुताबकल, गललगतल-बालूटसलतान की अदालतू के पास अब न तूो इतनी शकूतल है और न ही कूषमता कलरूे देश के परूधानमंतूरी से जवाब मांग सकूे। इस आरूटकलल के तहत परूधानमंतूरी को कानून से भी ऊपर रखा गया है।
- नए कानून ने 'गललगतल-बालूटसलतान सशकूतीकरण और स्वाशासन आदेश 2009' का स्थान ललरूा है, जसलके तहत गललगतल-बालूटसलतान की स्थानीय परषलद खनजल, जलवदलरूत और परूयटन से संबूधतल कानून बनाती थी और इस पर फैसला लेती थी।
- अब ये फैसले गललगतल-बालूटसलतान की वधलनसभा लेगी।
- नए कानून के तहत अब इस इलाके के लूोगू को पाकसलतान के अन्य चार परूांतू की तरह अधकलर हासलल हूूेगे।

अभी कूूा है स्थतल?

- बलूचसलतान, खूैबर-पखतूनखूवा, पंजाब और सधल पाकसलतान के चार परूांत हैं।
- पाक अधकूत कश्मीर और गललगतल-बालूटसलतान दूनुूे अलग-अलग इलाके हैं, जबकल भारत इनहूे जममू-कश्मीर का एक हसलसा मानता है।
- इन दूनुूे कूषेतरूू की अपनी वधलनसभाएँ हैं और तकनीकी रूू से यह पाकसलतान संघ का हसलसा नहीं है।
- पाकसलतान कश्मीर के ललरूे एक वर्षलष मंतूरी और संयूकूत परषलदू के जरूये उनका शासन करूता है।
- परूतूयकूषत: दूनुूे कूषेतरू स्वातंत्र हैं, लेकनल वदलश और रकूषा मामले पाकसलतान के नरूयलतूरूण में हैं।
- अभी तक गललगतल-बालूटसलतान स्वायतूत कूषेतरू है, जहाँ परूादेशकल असूंबली के अलावा एक चुना हुआ मुखूयमंतूरी भी है।
- इसका कूूल कूषेतरूफल 72,971 वर्ग कमी. है और इसका परूशासनकल कूेंदर गललगतल शहर है, जसलकी जनसंखूया लगभग ढाई लाख है।
- कूूल लगभग 20 लाख की जनसंखूया में 14% शहरी आबादी वाले गललगतल-बालूटसलतान में शलरूा मुसूलमीू की संखूया अधकल है।
- पाकसलतान ने 1963 में पाक अधकूत कश्मीर की 5 हजार वर्गमील वाली शकूसगाम घाटी का इलाका चीन को दे दलरूा था, जसलसे हूकर चीन ने करूाकोरम राजमार्ग बना ललरूा।
- 1970 में पाकसलतान ने गललगतल एरूेसी, बालूटसलतान, हुंजा और नगर इलाकूूे को मललकर नारूदन एरूयलज का गठन कलरूा था।
- गललगतल-बालूटसलतान में कूूल 7 जूूललल है, जनलमें से 5 गललगतल में और 2 बालूटसलतान में हैं तथूा गललगतल और स्कूरूू से इनका परूशासन चलाया जाता है।
- पाकसलतान ने एक यलजना के तहत गललगतल-बालूटसलतान सशकूतीकरण और स्वाशासन आदेश जारी कर 2009 में गललगतल-बालूटसलतान में वधलनसभा बनाई थी, ताकल इस कूषेतरू को अलग परूांत बनाया जा सकूे।
- गललगतल-बालूटसलतान की सीमाएँ पश्चमल में खूैबर-पखतूनखूवा से, उत्तूर में अफगानसलतान के वाखान गलरूारे से, उत्तूर-पूरूव में चीन के शनूजलरूयलंग परूांत से, दकूषणल में पाकसलतान अधकूत कश्मीर और दकूषणल-पूरूव में भारतीय जममू-कश्मीर राजूय से लगती हैं।

कूूूे बनानूा चाहता है पाँचवां परूांत?

चीन-पाकसलतान आरूथकल गलरूारूा (CPEC) इसी इलाके से हूकर बनाया जा रहा है। चूूकल यह इलाका वलवलदतल है, इसलरूे चीन चाहता है कल इस कूूरीडर के तूैयार हूेने से पहले इसके तमाम कानूनी पहलू पूरे कर ललरूे जाएँ। अगर गललगतल-बालूटसलतान को पाकसलतान के पाँचवूे परूांत का दरूजा दलरूा जाता है तूो भारत के ललरूे परेशानी यह हूगी कल पाकसलतान कानूनी तूौर पर इस इलाके पर अपना दावा मजबूत कर लेगा और चीनी सेना की यहाँ मौजूदगी भी हूे जाएगी।

भारत की चतल

- यह इलाका पाकस्तान अधकृत कश्मीर (PoK) से लगा हुआ है और अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के लिये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- इसके पश्चिम में पाकस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, उत्तर में चीन और अफगानस्तान तथा पूरव में भारत है, जसिमें दुनिया का सबसे ऊँचा युद्धस्थल और क्षेत्र में सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण सियाचिनी भी शामिल है।
- भारत इस विवादित क्षेत्र से CPEC के गुजरने को लेकर चीन के समकष कई बार वरिध दरज करा चुका है।
- पाकस्तान अधकृत कश्मीर की सीमा से लगे गलित-बाल्टस्तान क्षेत्र को पाँचवां प्रांत घोषित करने की पाकस्तान की कसि भी कोशशि को भारत नकारता है।
- भारत पूरे जम्मू-कश्मीर को अपना अभनिन अंग मानता है जसिमें पाकस्तान अधकृत कश्मीर और गलित-बाल्टस्तान दोनों आते हैं, इसलिये पाकस्तान को जम्मू-कश्मीर के कसि भी हसिसे को एक अलग पाकस्तानी प्रांत बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

पाकस्तान के लिये जरूरी है CPEC

- अप्रैल 2015 में चीन और पाकस्तान के बीच इस बहुचर्चित गलियारे को लेकर समझौता हुआ था। इस गलियारे से चीन को हृदि महासागर में प्रवेश करने का मौका मलि गया है।
- इसके माध्यम से चीन ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के अलावा पश्चिमि एशिया में अपना राजनैतिक और सैनिकि प्रभुत्व बनाए रखने के लिये एक उपनविश स्थापति कर लिया है।
- चीन-पाकस्तान के इस आर्थिकि गलियारे ने पारंपरिकि उत्तर-दक्षणि व्यापार पथ को पलटकर रख दिया है।
- पाकस्तान ने ऐसे आर्थिकि और भौगोलिकि मार्ग को चुना है, जसिका नकशा अब चीन तय करता रहेगा।

क्या है CPEC?

- चीन के सहयोग से 51 बलियन डॉलर की लागत वाली इस परयोजना पर तेज़ी से काम चल रहा है।
- इसका उद्देश्य पाकस्तानी अवसंरचना को बढ़ाना और उसे समुन्नत करना है तथा साथ ही पाकस्तान और चीन के बीच आर्थिकि संबंधों को और मज़बूत करना भी है।
- यह परयोजना दक्षणि-पश्चिमि में पाकस्तान के ग्वादर को चीन के उत्तर-पश्चिमि के शनिजियांग प्रांत से एक राजमार्ग और रेलवे के वृहत् नेटवर्क से जोड़ेगी।
- इस परयोजना के तहत 1,100 किलोमीटर का लंबा राजमार्ग कराची और लाहौर के बीच में बनाया जाएगा।

कराकोरम हाईवे: इसके अलावा रावलपिंडी और चीनी सीमा के बीच कराकोरम हाईवे को पूरी तरह से नया बनाया जाएगा। पाकस्तान अधकृत कश्मीर के गलित-बाल्टस्तान क्षेत्र के हुंजा इलाके में एक गाँव है सुस्त, जो चीनी सीमा के पहले कराकोरम राजमार्ग पर अंतिमि गाँव है। यहीं से चीन के मालवाहक कंटेनर कराकोरम हाईवे से होकर गलित-बाल्टस्तान में प्रवेश करेंगे।

- CPEC के तहत पाकस्तान के रेल नेटवर्क को चीन के दक्षणि शनिजियांग रेलवे, काशगर से जोड़ा जाएगा।
- प्राकृतिकि गैस और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिये पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क भी इस परयोजना के तहत बनाया जाएगा।
- इसमें 2.5 बलियन डॉलर की लागत से ग्वादर और नवाबशाह के बीच बनने वाली पाइपलाइन भी शामिल है जसि ईरान से आने वाली गैस को लाने के लिये बनाया जाएगा।
- चीन द्वारा बनाया जा रहा यह कॉरिडोर गलित-बाल्टस्तान और पाकस्तान अधकृत कश्मीर से होकर गुजरेगा।
- पाकस्तान के अनुसार इस परयोजना से 2015-2030 के बीच 7 लाख रोज़गार उत्पन्न होंगे।
- इससे पाकस्तान के आर्थिकि विकास में 2 से 2.5 प्रतिशत वार्षिकि की वृद्धि हो सकती है।
- चीन का यह नविश 2002 से अब तक पाकस्तान को अमेरिका से मलि कुल आर्थिकि सहायता से भी ज़्यादा है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

चीन के कब्जे वाला अकसाई चिनी भी जम्मू-कश्मीर का हसिसा है

- भारत और चीन के बीच एक लंबी सीमा है और इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा भारत के लिये हमेशा से एक जटलि मुद्दा रहा है। कभी-कभी इस क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा अतिक्रमण की खबरें भी आती रहती हैं।
- जम्मू-कश्मीर में चीन के साथ भारत का विवाद अकसाई चिनी क्षेत्र को लेकर रहता है। इसे भारत जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का हसिसा मानता है, जबकि इस पर वास्तविकि नयितरण चीन का है और यह उसके स्वायत्तशासी प्रांत शनिजियांग का हसिसा है।
- 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय चीन ने तत्कालीन 'नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी' (NEFA) के लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और चीनी सेना तेज़पुर तक पहुँच गई थी।
- 21 नवंबर, 1962 को चीन ने एकतरफा युद्धविराम लागू करके पूरे पश्चिमि अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना हटा ली और इस क्षेत्र में युद्ध से पूरव की स्थिति को बहाल कर दिया था।
- चीन ने लद्दाख के जसि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, उसे अपने नयितरण में बनाए रखा, जो आज भी चीन के नयितरण में है। इसी क्षेत्र को अकसाई चिनी (Aksai Chin) कहते हैं।
- भारत का कहना है कि चीन ने 1962 की लड़ाई में अकसाई चिनी के 38 हज़ार वर्गमील इलाके पर कब्जा कर लिया था।

अंतरराष्ट्रीय जगत का क्या है कहना?

- गलिलगति-बाल्टस्तान पर पाकस्तान का कब्ज़ा पूरी तरह अवैध है; न केवल ब्रिटिश संसद इसे कश्मीर का हिस्सा मानती है, बल्कि यूरोपीय संघ भी इसे कश्मीर का ही हिस्सा बताता है।
- ब्रिटन की संसद में पछिले वर्ष कंज़र्वेटिव संसद बॉब ब्लैकमैन ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें गलिलगति-बाल्टस्तान पर पाकस्तान के कब्ज़े को अवैध बताया गया था।
- इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पाकस्तान ने गलिलगति-बाल्टस्तान पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है, जबकि यह क्षेत्र उसका है ही नहीं।

क्या है इस क्षेत्र का इतिहास?

- पहले इसे उत्तरी (शुमाली) इलाका अर्थात् नॉर्डन एरियाज़ कहा जाता था। अपनी भौगोलिक संरचना की वज़ह से यह इलाका भारत, चीन और पाकस्तान, तीनों के लिये सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

विविध लीज़ डीड: डोगरा शासकों ने अंग्रेजों के साथ हुई लीज़ डीड को 1 अगस्त, 1947 को रद्द करते हुए क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 1935 में एक लीज़ डीड के तहत ब्रिटिश शासकों को 60 साल तक के लिये इस क्षेत्र का नियंत्रण दे दिया था।

- 1947 में भारत विभाजन के समय यह क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर की तरह न भारत का हिस्सा रहा और न ही पाकस्तान का।
- महाराजा हरि सिंह को गलिलगति स्काउट के स्थानीय कमांडर कर्नल मरिजा हसन खान के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसने 2 नवंबर, 1947 को गलिलगति-बाल्टस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया।
- इससे दो दिन पहले 31 अक्टूबर को कश्मीर के महाराजा ने रियासत के भारत में विलय को मंजूरी दी थी।
- 21 दिन बाद पाकस्तान इस क्षेत्र में दाखिल हुआ और उसने सैन्य बलों तथा कबाइलियों के बल पर इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया।
- अप्रैल 1949 तक यह इलाका पाकस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा।
- 28 अप्रैल, 1949 को पाकस्तान अधिकृत कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत गलिलगति के मामलों को सीधे पाकस्तान की केंद्र सरकार के तहत कर दिया गया।
- इस करार को कराची समझौते के नाम से जाना जाता है और क्षेत्र का कोई भी नेता इस करार में शामिल नहीं था।
- विविध गलिलगति-बाल्टस्तान में दो स्वतंत्रता दलिस मनाए जाते हैं--एक 14 अगस्त को, जब पाकस्तान अपना स्वतंत्रता दलिस मनाता है और दूसरा 1 नवंबर को, जब यह इलाका 1947 में हासिल की गई अपनी उस आजादी को याद करता है, जो केवल 21 दिन तक टिकी पाई थी।
- कालांतर में पाकस्तान ने गलिलगति-बाल्टस्तान के सुदूर उत्तर में स्थिति एक इलाके को कराकोरम राजमार्ग के निर्माण के लिये चीन को दे दिया।
- पाकस्तान का कहना है कि डोगरा राजतंत्र ने क्षेत्र पर नियंत्रण को खत्म कर दिया था और जम्मू-कश्मीर के अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह का लगभग 73 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि पाकस्तान को इस क्षेत्र का नियंत्रण कैसे मलि गया?
- पाकस्तान भारत के इस दावे को यह कहकर नकारता है कि डोगरा शासकों ने 1846 में इस इलाके को जम्मू-कश्मीर में शामिल कर लिया था, अन्यथा यह कभी भी इस रियासत का हिस्सा नहीं रहा।
- अपने दावे के पक्ष में पाकस्तान 1935 की उपरोक्त लीज़ डीड का उल्लेख करता है, जिसने ब्रिटिश शासकों को 60 साल तक के लिये इस क्षेत्र का नियंत्रण दे दिया था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

नबिकरष: भारत का दावा है कि गलिलगति-बाल्टस्तान 1947 तक अस्तित्व में रही जम्मू-कश्मीर रियासत का हिस्सा रहा था, इसलिये यह पाकस्तान के साथ क्षेत्रीय विवाद का हिस्सा है। पाकस्तान इस क्षेत्र को विविध कश्मीर के क्षेत्र से पृथक मानता है और इस पर अपने कब्ज़े के बाद उसने चीन के सहयोग से इस क्षेत्र के खनजिों और जलविद्युत संसाधनों के दोहन के लिये बड़े पैमाने पर निवेश किया है। चीन के साथ मलिकर पाकस्तान यहाँ आर्थिक कॉरिडोर तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इस विविध क्षेत्र में चीन की पहुँच और पाकस्तान के दमनकारी शासन के मानवाधिकार उल्लंघन ने इलाके में अलगाववादी आंदोलन को जन्म दिया, लेकिन इस आंदोलन की कम ही जानकारी मलित्ती है। बेहद कड़े संघीय कानून इस क्षेत्र तक विदेशियों और मीडिया की पहुँच को लगभग असंभव बनाते रहे हैं। जब भी पाकस्तान और चीन की गतिविधियों का यहाँ के लोग वरिध करते हैं तो सेना इसे कुचल देती है। स्थानीय लोग इसका वरिध करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पाकस्तान का उद्देश्य क्षेत्र के जनसांख्यिकीय चरितर को बदलना है। यहाँ के स्थानीय निवासी चाहते हैं कि भारत और पाकस्तान के बीच कश्मीर विवाद के हल की प्रक्रिया में उन्हें भी हिस्सा बनाया जाए।